

## नगर निगम, अजमेर

(ગુજરાત લગ્નપાલિકા અધિકારીમણે 2009 કી રાશ ને આપોયો)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSC/AJMER/FIRENOC/2023-24/21038

जारी दिनांकः

28-AUG-2023

ਪ੍ਰਥਿਤ-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

CLE MENT CUTINHO

### आवेदक का पता:

# KAISERGANJ ST ANSELM SCHOOL AJMER

विषय:- अग्रिमशम्बु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ST. PAUL SR. SEC. SCHOOL, KH NO 116 117 118, KEKRI ROAD, BIJAINAGAR, VIJAYNAGAR, AJMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिन सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शार्तेः—

1. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विफ्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।

2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।

3. फायर बाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवशेष रहित रखना होगा।

4. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।

5. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

6. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।

7. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।

8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।

9. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।

10. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को वाध्य होंगे।

11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम री करवाची जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।

12. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफ्टॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहाँ पर रुफ्टॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

Manager  
St Paul School  
Bijainagar - 305624

**Principal**  
**St. Paul's Sr. Sec. School**  
**BJAINAGAR**

Signed by: Sita Verma  
Location: AJMER, Rajasthan  
Date: 28/08/2023 13:27:26

अग्निशमन आधेकारी  
हनुम विग्रह अजमेर